



JEEV KA

An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation

**Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar**



1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brllp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj/497/14/1390

दिनांक: 14-04-2014

कार्यालय—आदेश

(सामुदायिक निवेश निधि को विभिन्न बजट शीर्षों में समायोजित करने हेतु)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति अर्थात् "जीविका" द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जीविका द्वारा राज्य में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (BRLP-Bihar Rural Livelihoods Project), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP-National Rural Livelihoods Project) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM-National Rural Livelihoods Mission) जैसी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपर्युक्त परियोजनाओं में सामुदायिक निवेश निधि का प्रावधान किया गया है जिसका उपयोग सामुदायिक संगठनों के द्वारा सदस्यों की जरूरतों को पूर्ति करने तथा निर्णय क्षमता बढ़ाने हेतु किया जाता है।

सामुदायिक निवेश निधि की राशि को विभिन्न बजट शीर्षों में समायोजित करने से संबंधित कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या BRLPS/Proj/378/12/3220 दिनांक 18 सितम्बर 2013 द्वारा निर्गत किया गया था। जीविका द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं में खर्च की जाने वाली सामुदायिक निवेश निधि की राशि को विभिन्न बजट शीर्षों में निदेशित समायोजन पर पुनरावलोकन की जरूरत महसूस की गयी है।

उक्त के आलोक में सामुदायिक निवेश निधि को विभिन्न बजट शीर्षों में समायोजित करने हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश को संशोधित करते हुए निम्न निदेश दिये जाते हैं :

1. **बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (BRLP-Bihar Rural Livelihoods Project):** इस परियोजना का क्रियान्वयन बिहार के छः जिलों (गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया एवं पूर्णियाँ) के सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। यह निदेशित है कि BRLP के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले प्रखंडों में सामुदायिक संगठनों को दी जाने वाली आरंभिक पूंजीकरण निधि (ICF-Initial Capitalization Fund) की राशि का समायोजन NRLM के अंतर्गत (SRLM-Community Investment Support) बजट शीर्ष में किया जाएगा।

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना के कार्यक्षेत्र में सामुदायिक निवेश निधि के शेष स्वरूपों (खाद्य सुरक्षा निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि तथा जीविकोपार्जन निधि इत्यादि) को BRLP के बजट शीर्ष में ही समायोजित किया जाएगा।

2. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP-National Rural Livelihoods Project):** इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों के 77 प्रखंडों में कार्य किया जा रहा है (जिलावार प्रखंडों की विस्तृत सूची कार्यालय आदेश सं० : BRLPS/Proj/378/12/3220 दिनांक 18 सितम्बर 2013 में वर्णित है)।

[Handwritten Signature]

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) के अंतर्गत शामिल उपर्युक्त प्रखंडों में विभिन्न सामुदायिक संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, उत्पादक समूह, उत्पादक समूहों के संघ, प्रोड्यूसर कंपनी आदि) के माध्यम से समुदाय की जरूरतों को पूरा करने हेतु दी जाने वाली सामुदायिक निवेश निधि के विभिन्न स्वरूपों (आरंभिक पूंजीकरण निधि, खाद्य सुरक्षा निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि तथा जीविकोपार्जन निधि इत्यादि) की राशि का व्यय NRLP के अंतर्गत (NRLP- Community Investment Support) बजट शीर्ष से किया जाएगा।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM- National Rural Livelihoods Mission) : इसके तहत BRLP एवं NRLP के अंतर्गत आने वाले प्रखंडों के अलावा राज्य के शेष प्रखंडों में कार्य किया जाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रखंडों में खर्च होने वाली सामुदायिक निवेश निधि की समस्त राशि का समायोजन NRLM के तहत (SRLM- Community Investment Support) बजट शीर्ष में किया जाएगा।

यह आदेश दिनांक 01 जुलाई 2014 के प्रभाव से लागू होगा।

B. S. S.
14/7/14

(श्रीधर सी.)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:—

1. OSD/Director/CFO/ FO /AO/PS
2. PC-FI/PC-KMG/All SPMs/All PMs.
3. All DPMs/ In Charge DPMs
4. All BPMs/ In Charge BPMs
5. All TMs/TOs/Thematic Managers
6. IT Section.
7. Concerned File.